भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2396

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

जलपाईगुड़ी जिले में कैच द रेन-2024 अभियान

2396. डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलपाईगुड़ी जिले में 'कैच द रेन-2024' अभियान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जिले में इस अभियान के अंतर्गत क्या विशिष्ट पहल की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थानीय समुदायों के बीच सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं/लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल शक्ति अभियान (जेएसए) का शुभारंभ वर्ष 2019 में देश के 256 जल की कमी वाले जिलों के 2,836 ब्लॉकों में से 1,592 ब्लॉकों में शुरू किया गया था। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण जेएसए को शुरू नहीं किया जा सका। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2021 में, "जल शक्ति अभियान:कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) का शुभारंभ देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए "कैच द रेन - वेयर इट फाल्स, वेन इट फाल्स" थीम के साथ शुरू किया गया था। जेएसए: सीटीआर वर्ष 2021 से एक वार्षिक फीचर बन गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले सहित सभी जिलों (सभी ब्लॉकों और नगरपालिकाओं) के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 शुरू किया गया। यह राष्ट्रीयव्यापी अभियान, जेएसए: सीटीआर 2024, "नारी शक्ति से जल शक्ति" थीम के साथ, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले सहित हर जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल को बचाने और उसे संरक्षित करने पर केंद्रित था। इस अभियान का उद्देश्य, स्थानीय जलवायु परिस्थितियों और सब-सॉइल स्ट्राटा के अनुसार, वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएचएस) का विनिर्माण करना है, जिसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इस अभियान के तहत, विशेष रूप से, वर्ष 2019 से देश भर में 1.70 करोड़ से अधिक जल संरक्षण कार्य किए गए हैं, जिसमें 56 लाख से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन कार्य, लगभग 12 लाख पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, 30 लाख से अधिक जल की पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएँ और लगभग 72 लाख वाटरशेड विकास कार्य शामिल हैं। इस अभियान के तहत, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दिनांक 22.03.2021 से 11.03.2025 के दौरान 15,976 जल संरक्षण कार्य (जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण, पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएँ और वाटरशेड विकास) के कार्य किए गए हैं।

(ग): जल एक राज्य विषय है और केंद्र सरकार राज्यों के प्रयासों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से संपूरित करती है। सरकार द्वारा जेएसए: सीटीआर पहल के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ साझेदारी में स्थानीय समुदायों/हितधारकों को शामिल किया गया है ताकि स्थानीय समुदायों के बीच सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपाय कार्यान्वित किए जा सके हैं। जेएसए: सीटीआर अभियान के विजन को बढावा देने के लिए, जेएसए: सीटीआर अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल को, देश भर में समुदाय-आधारित जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण का कार्य शुरू किया गया है। यह पहल एक मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के विनिर्माण पर केंद्रित है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रतिपूरक वनीकरण कोष (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), व्यक्तिगत और परोपकारी योगदान आदि जैसे कई वित्तीय स्रोतों का लाभ हासिल करते हुए एक समवर्ती और सहभागी दृष्टिकोण पर आधारित है। ऐसी आशा की जाती है कि जल संचय - जन भागीदारी के माध्यम से दिनांक 31 मई, 2025 तक 1 मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं विनिर्मित की जाएंगी। दिनांक 12.03.2025 तक, इसमें जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत लगभग 7.63 लाख पुनर्भरण संरचनाएं पहले ही शामिल की जा चुकी हैं।

जन भागीदारी की भावना के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) का वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुभारम्भ किया गया, जो हर ग्रामीण घर को जल की नियमित और दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) आईएस 10500 मानदंडों को पूरा करता है। एक सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी-प्रेरित शासन और कौशल पर पूर्ण रूप से केन्द्रित होने के साथ, जल जीवन मिशन (जेजेएम) ग्रामीण जल आपूर्ति में एक क्रांति बन गया है। चूंकि इसके केंद्र में, गांव जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) है, जो गाँव के लोगों को, अपने जल आपूर्ति की जिम्मेदारी लेने के लिए उसकी आयोजना करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए सशक्त बनाती है। जिला स्तर पर, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) सहायता, संसाधन और समन्वय प्रदान करते हैं। जनभागीदारी में इस बॉटम-अप अपरोच से यह सुनिश्चित होता है कि जेजेएम स्थायी बने और समवेशी बने और वास्तव में उन्हीं लोगों द्वारा संचालित किया जाए जिनको वह सेवा प्रदान करता है। इसके शुभारम्भ के समय, केवल 3.23 करोड़ (16%) ग्रामीण परिवारों के पास ही घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध था। इस समय, देश भर में 15.50 करोड़ (80%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अपने घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, जिससे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है।

अटल भूजल योजना एक समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे चिन्हित राज्यों के चयनित जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में इस महत्वपूर्ण संसाधन की स्थिरता को बढ़ाना है। यह अपनी तरह की पहली योजना है जिसका उद्देश्य समुदाय में व्यवहारिक परिवर्तन लाना है, जो भूजल के मांग-पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित है। कुशल जल उपयोग प्रथाओं के तहत लगभग 6.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है जिसमें ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्चिंग, फसल विविधीकरण आदि शामिल हैं। ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर 70,000 से अधिक कुओं के जल स्तर की निगरानी की जा रही है और इससे जुडी जानकारी को

समुदाय के साथ साझा किया जा रहा है। तिरानवे हजार से अधिक मौजूदा जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का मानचित्रण किया गया है। इकसठ ब्लॉकों में 1333 ग्राम पंचायतों के भूजल स्तर में सुधार देखा गया है।

नमामि गंगे मिशन सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो नदी बेसिन विजन के साथ से गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसके संरक्षण को सुनिश्चित करती है। पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली के संबंध में संयुक्त राष्ट्र दशक द्वारा इसे विश्व के सबसे बड़े 10 कार्यक्रमों में से एक होने की मान्यता प्रदान की गई है और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आगे बढ़ाया गया है। यह मिशन प्रदूषण नियंत्रण, निर्बाध नदी प्रवाह सुनिश्चित करने, लोगों और नदियों के बीच संबंध गहरा करने, नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत आजीविका को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र नदी पुनरुद्धार का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना था। इसके तहत 100 मिलियन से ज़्यादा शौचालयों का विनिर्माण किया गया, जिससे वर्ष 2014 में स्वच्छता कवरेज 39% से वर्ष 2019 में 100% तक बढ़ गयी। 6 लाख से ज़्यादा गांवों ने खुद को ओडीएफ घोषित किया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बन गया। ओडीएफ को बनाए रखने और अपशिष्ट प्रबंधन के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एसबीएम-जी 2.0 को लॉन्च किया गया, जिससे गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल में परिवर्तित किया गया। एसबीएम एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (वॉश) प्रणालियों का नेतृत्व स्थानीय समुदाय करते हैं और वे दीर्घकालिक, प्रणालीगत परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। सक्रिय जन भागीदारी और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) और जिला जल और स्वच्छता मिशनों (वीडब्ल्यूएससी) की मज़बूत भूमिकाओं के माध्यम से यह मिशन समुदायों को स्वच्छता प्रयासों में एक मलिकाना हक हासिल करने के लिए सशक्त बनाता है। जमीनी स्तर पर नेतृत्व यह सुनिश्चित करेगा कि भारत न केवल अपने ओडीएफ स्थिति को बनाए रखे बल्कि वह एक सुरक्षित जल, सफाई और स्वच्छता के सार्वभौमिक पहुंच की दिशा में भी आगे बढ़े।

इसके अलावा, अन्य मंत्रालय/विभाग भी स्थानीय समुदायों के बीच सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन को जारी करते हुए शहरी क्षेत्रों में जल के सतत प्रबंधन की दिशा में अनेक कदम उठाए गए है, जैसे कि जल आपूर्ति क्षेत्र में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत अमृत और अमृत 2.0, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/राज्य भूजल आदि के जल आपूर्ति प्रणाली, जल आपूर्ति के लिए जल निकायों का संरक्षण और भूजल का पुनर्भरण आदि से जुड़ी नई/संवर्धन/पुनर्बहाली संबंधी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। अमृत 2.0 के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी नागरिकों को जल गुणवत्ता निगरानी में शामिल करते हैं। जल क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए अमृत मित्र पहल भी शुरू की गई है।

*****